अपर उपायुक्त का न्यायालय,सरायकेला-खरसावॉं।

टी0ए0 मिस केस नं0- 14/2019-20

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
17.2.20	**आदेश** आवेदक श्री छटराय बहादुर महतो, पिता- स्व0 मधु सुदन महतो,जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग), ग्राम- दिवानसाई, वार्ड नं0-3, नगर पंचायत, थाना - सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावॉं ने मौजा - धातकीडीह, पो0 - अरूवॉं, थाना-कुचाई, थाना नं0- 131, खाता नं0-35, प्लॉट नं0-476 एवं 472, रकवा - 0.84 एंकड़ एवं 0.14 एकड़ कुल रकवा- 0.98 एकड़ जमीन को क्रेता - अंजना कुमारी महतो, पति- श्री गुरूचरण महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) ग्राम- धातकीडीह,पो0-अरूवॉं, थाना- कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावॉं के पास पारिवारिक खर्च के वास्ते रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 1,20,000.00 (एक लाख बीस हजार) रू0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बेचे के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है। आम सूचना निर्गत किया गया। किसी ने इस जमीन की बिक्री पर आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक-1142, दिनांक-22.10.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विक्रेता स्वयं खतियानी रैयत छटराय महतो उर्फ छटराय बहादुर महतो एवं अन्य व्यक्ति के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री के बाद आवेदक के पास 3.30 एकड़ भूमि शेष बचती है तथा आवेदक भूमिहीन नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्री छटराय बहादुर महतो, पिता- स्व0 मधु सुदन महतो ने आवेदित भूमि मौजा - धातकीडीह, पो0 - अरूवॉं, थाना-कुचाई, थाना नं0- 131, खाता नं0-35, प्लॉट नं0-476 एवं 472, रकवा - 0.84 एकड़ एवं 0.14 एकड़ कुल रकवा- 0.98 एकड़ जमीन को क्रेता - अंजना कुमारी महतो, पति- श्री गुरूचरण महतो, जाति- कुर्मी (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) ग्राम- धातकीडीह, पो0-अरूवॉं, थाना- कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावॉं को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं 17.02.20 अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं	